

प्रेषक,

निदेशक,  
प्रशासन एवं विकास  
पशुपालन विभाग  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1-समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,  
पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश।

संख्या-1349/सा0-2/578/कोर्टकेस/2014-15

दिनांक 28 अक्टूबर, 2015

विषय- जनहित याचिका 'डॉग शो' आयोजन के सम्बन्ध में याचिका सं061400/2013  
के आदेश के अनुपालन में आंशिक संशोधन के क्रम में।

महोदय,

उक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जनहित याचिका संख्या-61400/2013 के द्वारा मा0 मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभाग द्वारा पत्रांक 48/सा0-2/पशुकूरता/13-14 दिनांक-10.1.2014 को निर्देश दिये गये थे। दिये गये निर्देशों में बिन्दु सं0-1 पर डॉग शो में भाग लेने वाले श्वानों का आयोजन के 1माह पूर्व सभी प्रमाण पत्रों को जमा किये जाने की व्यवस्था दी गई थी। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए इस अवधि को 7 दिन किया जाता है जो कि इस शर्त के साथ कि टीकाकरण श्वान प्रदर्शनी की तिथि से कम से कम 1माह पूर्व पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा किया गया हो व एक वर्ष से अधिक पुराना न हो।

शेष व्यवस्थायें पूर्ववत रहेगी।

भवदीय,

(डा0 राजेश बाबू)  
निदेशक,  
प्रशासन एवं विकास